

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/एक-25/7/2002/10-3

भोपाल/दिनांक

प्रति,

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/संरक्षण,
मध्य प्रदेश, भोपाल ।

विषय:- वनक्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण बाबत ।

सन्दर्भ:- इस विधान द्वारा जारी परिपत्र क्रि/147/99/10-3 दि 12.1.2000.

==:0:==

वनक्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से जारी सन्दर्भित परिपत्र में यह निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक माह छानिब अधिकारी अथवा जिलाध्य द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी, संयुक्त रूप से छदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाणपत्र में कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत छदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है ।

उक्त प्रमाणपत्र अभी तक राज्य शासन को सीधे प्राप्त हो रहे हैं जिसकी छायाप्रति अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/संरक्षण को भेजी जाती है । शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राप्त प्रमाणपत्र → एकाई क्र प्रत्येक माह की जानकारी प्रमुख सचिव, वन विभाग को भेजी जाए ।

डा० देवेंद्रादर
अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पु030/एक-25/7/2002/10-3

भोपाल/दिनांक 5-7-02

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनाय प्रेषित
2. सचिव, म. प्र. शासन, छानिब विभाग, भोपाल की ओर सूचनाय प्रेषित
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।
4. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्य प्रदेश ।

की ओर भेजकर लेख है कि अवैध उत्खनन रोकने संबंधी राज्य शासन को भेजा जा रहा संयुक्त प्रमाणपत्र अब आगामी माह से अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/संरक्षण, मध्य प्रदेश सतसुद्धा भवन, भोपाल को भेजे जावे ।

(Signature)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

31/7/02